



**MUMBAI PORT TRUST**

**ACCOUNTS DEPARTMENT**

**APPLICATION FOR FAMILY PENSION : Form FM -III Form ST - II**

**Form FM - I.****Form ST - II****Certificate of Death and Heirship**

(To be signed by Chief Presidency Magistrate or a Stiper Magistrate authorized by the Chief Presidency Magistrate Mumt issued in Greater Mumbai or by a Magistrate, Mamlatdar, Maha Sarpanch of Grampanchayat, Special Executive Officer or any recognized Government officer if issued outside Greater Mumbai.)

**मृत्यु व उत्तराधिकार का प्रमाणपत्र**

(बृहन्मुंबई में जारी किए जाने पर मुंबई के मुख्य प्रेसिडेन्सी मैजिस्ट्रेट अथवा उन प्राधिकृत वृत्तिकर्ग्राही मैजिस्ट्रेट अथवा बृहन्मुंबई से बाहर जारी किये जानेपर में मामलेदार, महालकरी, ग्रामपंचायत के सरपंच, विशेष कार्यकारी अधिकारी अथवा किसी भी मान्यताप्राप्त सरकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाए.)

Certified that Shri/Smt.----- employed in the ----- Department, Mumbai Port Trust d ----- on ----- and that the foll persons are his/her sole surviving legal hairs and persons at Sr. Nos.----- are minor and under the guardianship of -----  
 प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ----- मुंबई पो के ----- विभाग में नियुक्त, का ----- में ----- को देहान्त हुआ और यह कि निम्नलिखित उसके अकेले उत्तरजीवी वैध उत्तराधिकारी कक्रमांक ----- की व्यक्तियाँ संख्या नाबालिग है और ----- सरक्षण में है.

No. संख्या	Name (in full) पूरा नाम	Relationship to the employee मृत के संबंध	Age/Years आयु/वर्ष	Whether dependant or the deceased for suppor उदरनिर्वाह के लिये क्या मृतक पर निर्भर थे
01.				
02.				
03.				
04.				
05.				

